ए-41020/1/2021-ई-II

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

आयुष भवन, 'बी' ब्लॉक,
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,
नई दिल्ली - 110023.
दिनांक मई, 2023

परिपत्र

विषय: आयुष मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाताओं, डोमेन विशेषज्ञों, विधि परामर्शदाताओं और आईटी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष मंत्रालय का अपने यहां अनुबंध के आधार पर नियुक्त हेतु परामर्शदाताओं, डोमेन विशेषज्ञों और विधि परामर्शदाताओं का एक पैनल तैयार करना चाहता है। ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा। यद्यपि विज्ञापन, **संलग्नक-I** में दिए गए 18 पदों के लिए है, फिर भी भविष्य में मंत्रालय की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त आवेदकों को पैनल में रखा जाएगा।

2. नियुक्ति संबंधी निबंधन और शर्तें आयुष मंत्रालय के दिनांक 01.04.2023 के पत्र सं.ए-41020/4/2020-ई-II (प्रति संलग्न) द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगी।

3. इच्छुक और पात्र आवेदक, "सीवी और दावे के समर्थन में संगत दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रारूप **(संलग्नक-II)** में अपना विवरण" सहायक निदेशक (प्रशासन), आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023 के पते पर 12 जून, 2023 तक जमा कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. आयुष मंत्रालय के पास किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

[संलग्नक: यथोक्त]

अब्दुल सादिक खान

(अब्दुल सादिक खान)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध कि साथ कि वे इसे सभी पात्र आवेदकों की व्यापक जानकारी में लाएं।
2. अवर सचिव (सीएस-I डिवीजन), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि संबंधित अनुभाग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने का निदेश दें।

3. श्री संजय देव, मीडिया सलाहकार को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपलोड करें।
4. डॉ. निरमा बंसल, वेब सूचना प्रबंधक, आयुष मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस परिपत्र को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. श्री तनुज गुप्ता/श्री अरकान असद, एनआईसी सेल, आयुष मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस परिपत्र को मंत्रालय के केएमएस पोर्टल पर अपलोड करें।

संलग्नक-I

पद का विज्ञापन

1.	अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाताओं की संख्या	परामर्शदाता - 12 परामर्शदाता (राजभाषा/हिंदी) - 01 डोमेन विशेषज्ञ - 01 वरिष्ठ कानूनी परामर्शदाता - 01 विधि परामर्शदाता - 02 आईटी परामर्शदाता - 01
2.	नियुक्ति की अवधि	प्रारंभ में 31.03.2024 तक की अवधि के लिए। कार्यात्मक आवश्यकताओं और प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है।
3.	आयु सीमा	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 64 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए।
4.	प्रवेश स्तर की अपेक्षा	**परामर्शदाता:** भारत सरकार, राज्य सरकारों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, पीएसयू, भारत सरकार के स्वायत्त निकायों में अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव या समकक्ष के पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति। **परामर्शदाता (राजभाषा/हिंदी):** केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस) से सहायक निदेशक/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति। **डोमेन विशेषज्ञ** : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री (बीएएमएस/बीयूएमएस/बीएचएमएस/बीएसएमएस/बीएनवाईएस) के साथ-साथ एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम में मास्टर डिग्री/ लोक स्वास्थ्य प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **वरिष्ठ विधि परामर्शदाता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) के साथ योग्यता पश्चात 10 साल का अनुभव। **विधि परामर्शदाता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) के साथ योग्यता पश्चात 05 साल का अनुभव। **आईटी परामर्शदाता:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. या बी.टेक (आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस) के साथ योग्यता पश्चात

		परियोजना कार्यान्वयन, कार्यक्रम प्रबंधन, आईटी परियोजनाओं सहित ईओआई/आरएफपी/अनुबंधों को तैयार करने का 05 साल का अनुभव।
5.	निबंधन और शर्तें	परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आयुष मंत्रालय के दिनांक 01.04.2023 के पत्र सं. ए-41020/4/2020-ई-II **(प्रति संलग्न)** द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों के अनुसार।
6.	विशेषज्ञता	• प्रशासनिक/स्थापना संबंधी मामले। • बजट/लेखा। • नीतिगत मामले। • परियोजना/योजना संबंधी कार्य। • विधि संबंधी मामले (विधि परामर्शदाताओंके लिए)
7.	वांछनीय	निम्नलिखित व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी: • जो एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और अन्य कंप्यूटर अनुप्रयोगों में स्वतंत्र रूप से काम करने में कुशल हैं। • जिन्होंने सेवा में रहते हुए नीति/प्रशासनिक मामलों और संबंधित मुद्दों को संभाला है। • उत्कृष्ट संप्रेषण में निपुण। • डोमेन विशेषज्ञ के मामले में, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सरकार की सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं/मिशनों में एक्सपोजर और आयुष सहित सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव वांछनीय होगा। • आईटी परामर्शदाता के मामले में, एमबीए और सरकार (केंद्र/राज्य) में काम करने का अनुभव वांछनीय होगा।
8.	कार्य करने का स्थान	आयुष मंत्रालय के अपने निम्नलिखित कार्यालयों में:- (i) आयुष भवन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली - 110023 **अथवा** (ii) कार्यालय ब्लॉक 3, एनबीसीसी बिल्डिंग, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023

संलग्नक - II

आयुष मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र

पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएं

I. व्यक्तिगत विवरण:

1.	आवेदित पद (परामर्शदाता/परामर्शदाता (राजभाषा/हिंदी)/ डोमेन विशेषज्ञ/वरिष्ठ विधि परामर्शदाता/ विधि परामर्शदाता / आईटी सलाहकार),	
2.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
3.	पिता/ पति का नाम	
4.	जन्म तिथि	
5.	राष्ट्रीयता	
6.	स्थायी पता	
7.	ई-मेल आईडी (बड़े अक्षरों में)	
8.	मोबाइल नंबर	
9.	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के मामले में, सेवानिवृत्ति से पहले सरकारी सेवा में धारित अंतिम पद और मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम (कृपया पीपीओ की एक प्रति संलग्न करें)	
	अंतिम धारित पद का वेतन स्तर/ग्रेड-पे	
10.	संदर्भ	i. ii.

II. शैक्षिक योग्यता: (कृपया दावे के समर्थन में शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्वयं-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)

क्र. सं.	डिग्री/डिप्लोमा

III. पेशेवर अनुभव: (कृपया दावे के समर्थन में अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वयं-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)

क्र. सं.	संगठन का नाम	सेवा/नियुक्ति की अवधि	सेवानिवृत्ति से पहले धारित पद (सरकारी कर्मचारियों के मामले में)

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं कि उपर्युक्त घोषणा सत्य है और मैं मानता हूं कि मेरी नियुक्ति के बाद घोषणा गलत पाए जाने की स्थिति में, मैं मंत्रालय से बर्खास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

तिथि सहित हस्ताक्षर

फा. सं. ए-41020/4/2020-ई-II

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

आयुष भवन, 'बी' ब्लॉक,
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,
नई दिल्ली - 110023
दिनांक 01.04.2023

सेवा में,

आयुष मंत्रालय की सभी अनुसंधान परिषदें/राष्ट्रीय संस्थान/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (मानक सूची के अनुसार)।

विषय : आयुष मंत्रालय में परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देशों के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मंत्रालय में परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से संलग्नक के अनुसार संशोधित किया जाता है।

2. इसे आईएफडी की दिनांक 31.03.2023 की सीडी संख्या 645 द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जाता है।

भवदीय,

अब्दुल सादिक खान

(अब्दुल सादिक खान)
अवर सचिव, भारत सरकार

[संलग्नक: यथोक्त]

प्रतिलिपि;

1. सीपी और आरटीआई अनुभाग।
2. डॉ निरमा बंसल, अनुसंधान अधिकारी को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
3. श्री तनुज, एनआईसी को ई-ऑफिस पर अपलोड करने के लिए।

आयुष मंत्रालय में परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश

आयुष मंत्रालय, अपने यहां कार्य के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर पेशेवरों (जैसा कि नीचे खंड-1.5 में दर्शाया गया है) को नियुक्त करता है। यह नियुक्ति शुल्क-आधारित परामर्श की प्रकृति का है, और किसी भी तरह से रोजगार या नौकरी के लिए नियुक्ति की तरह नहीं है। आयुष मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता की नियुक्ति को अब से निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा:

1. **पात्रता:**

1.1 भारत सरकार, राज्य सरकारों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, पीएसयू, भारत सरकार के स्वायत्त निकायों के अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/डॉक्टर/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति, विशेषज्ञता के अपने संबंधित क्षेत्रों में परामर्शदाता के पद के लिए पात्र हैं।

1.2 कानून, आईटी और अन्य विषयों में स्नातक, परामर्शदाताओं के रूप में विशिष्ट नियुक्ति हेतु चयन के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। तथापि, डोमेन विशेषज्ञ के पास आयुष पद्धतियों/संबंधित विषय में पीजी डिग्री होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों के पास संबंधित मामलों को संभालने का कम से कम 05-10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए (अधिमानतः सरकार, स्वायत्त निकायों के साथ) और विषय वस्तु के निपटान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

1.3 उम्मीदवारों के पास उत्कृष्ट संप्रेषण क्षमताऔर अंतर्वैयक्तिक कौशल होना चाहिए। कंप्यूटर अनुप्रयोगों जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर प्वाइंट आदि का ज्ञान जरूरी है।

1.4 उम्मीदवारों को केंद्रीय सचिवालयी कार्यों जैसे मसौदा तैयार करने, नोटिंग, बजट, लेखा, कार्यालय प्रक्रिया आदि की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

1.5 परामर्शदाताओं के विभिन्न स्तर और उनकी प्रवेश-स्तर की अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

2.

क्र.सं.	प्रवेश-स्तर की अपेक्षाएं	पदनाम
	सेवानिवृत्त कर्मचारी	
1.	सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव/उप सचिव/डॉक्टर/निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव	परामर्शदाता
	ओपन मार्केट	
2.	योग्यता के बाद 05 वर्षों का अनुभव	विधि परामर्शदाता
3.	योग्यता के बाद 05 वर्षों का अनुभव	मीडिया परामर्शदाता
4.	योग्यता के बाद 05 वर्षों का अनुभव	आईटी परामर्शदाता
5.	योग्यता के बाद 05 वर्षों का अनुभव	परियोजना परामर्शदाता
6.	योग्यता के बाद 10 वर्षों का अनुभव	वरिष्ठ विधि परामर्शदाता
7.	योग्यता के बाद 10 वर्षों का अनुभव	वरिष्ठ मीडिया परामर्शदाता
8.	योग्यता के बाद 10 वर्षों का अनुभव	वरिष्ठ आईटी परामर्शदाता
9.	योग्यता के बाद 10 वर्षों का अनुभव	वरिष्ठ परियोजना परामर्शदाता
10.	योग्यता के बाद 05 वर्षों का अनुभव	डोमेन विशेषज्ञ

आयु सीमा:

2.1 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 64 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

2.2 अनुबंध को अधिवर्षिता के बाद 05 साल से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

3. पारिश्रमिक:

3.1 परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए, एक निश्चित मासिक राशि ग्राह्य होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पेंशन राशि घटाकर नियत की जाएगी। इस प्रकार नियत की गई पारिश्रमिक की राशि संविदा की अवधि तक अपरिवर्तित रहेगी। संविदा की अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी।

3.2 ओपन मार्केट के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारियों को संविदा की अवधि के दौरान कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा।

3.3 परिवहन भत्ते के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान उन परामर्शदाताओं को किया जाएगा जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं। परिवहन भत्ते की पात्रता, व्यय विभाग के दिनांक 07.07.2017 के का.ज्ञा. संख्या 21/5/2017-ई.II (बी) के अनुसार होगी। तथापि, कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। नियुक्त व्यक्ति के लिए परिवहन भत्ते की राशि निम्नानुसार होगी:

(i) सेवानिवृत्ति के समय लेवल-8 में वेतन प्राप्त करने वाले नियुक्त व्यक्ति को 3,600 रुपये का परिवहन भत्ता मिलेगा।

(ii) सेवानिवृत्ति के समय लेवल-9 और उससे ऊपर में वेतन प्राप्त करने वाले नियुक्त व्यक्ति को 7,200 रुपये का परिवहन भत्ता मिलेगा।

3.4 ओपन मार्केट के माध्यम से नियुक्त परामर्शदाताओं के लिए; एक समेकित मासिक पारिश्रमिक (कोई अलग परिवहन भत्ता देय नहीं होगा) निम्नानुसार नियत किया जाएगा -

क्र. सं.	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक (रुपए)
1.	विधि परामर्शदाता	50,000/-
2.	आईटी परामर्शदाता	50,000/-
3.	मीडिया परामर्शदाता	50,000/-
4.	परियोजना परामर्शदाता	50,000/-
5.	वरिष्ठ विधि परामर्शदाता	75,000/-
6.	वरिष्ठ आईटी परामर्शदाता	75,000/-
7.	वरिष्ठ मीडिया परामर्शदाता	75,000/-
8.	वरिष्ठ परियोजना परामर्शदाता	75,000/-
9.	डोमेन विशेषज्ञ	75,000/-

3.5 ओपन मार्केट अथवा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से नियुक्त किए गए परामर्शदाता एचआरए, आवासीय व्यवस्था, सीजीएचएस, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे किसी भी भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

3.6 ओपन मार्केट से नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं को यात्रा भत्ता (टीए) के लिए पात्रता का स्तर उनके मासिक पारिश्रमिक पर आधारित होगा। परामर्शदाता केवल आधिकारिक दौरे पर निम्नानुसार टीए के हकदार होंगे:

क्र.सं.	परामर्शदाता का मासिक पारिश्रमिक	पात्रता का स्तर
1.	50,000 रुपए	संशोधित वेतन मैट्रिक्स का पे-लेवल-7 अर्थात् सहायक अनुभाग अधिकारी की पात्रता के बराबर।
2.	75,000 रुपए	संशोधित वेतन मैट्रिक्स का पेलेवल--10 अर्थात अनुभाग अधिकारी की पात्रता के बराबर।

3.7. ओपन मार्केट के माध्यम से नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं के लिए; न्यूनतम एक वर्ष के संतोषजनक समापन पर पारिश्रमिक में अधिकतम 03% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान होगा जो हरेक मामले में निष्पादन समीक्षा के अध्यधीन होगा। तथापि, वेतन वृद्धि संविदा की अवधि के दौरान न्यूनतम एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर किसी भी वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की जाएगी और वित्तीय वर्ष के बीच में नहीं दी जाएगी।

4. <u>नियुक्ति</u>:

4.1 अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता की नियुक्ति केवल तभी की जाएगी जब रिक्तियों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता है या निर्धारित समय सीमा की अतिरिक्त गतिविधियों के कारण आवश्यकता को पूरा करना हो।

4.2 नियुक्ति की अवधि आमतौर पर प्रारंभ में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी जिसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। अधिवर्षिता की आयु के दो वर्ष बाद, यदि पर्याप्त औचित्य हो तो, कार्यकाल को संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कार्य की समीक्षा और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे सेवानिवृत्ति के बाद पांच साल से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सभी परामर्शदाताओं का कार्यकाल किसी भी वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। किसी भी वित्तीय वर्ष के मध्य में लगे सलाहकारों के लिए, उनकी नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

4.3 परामर्शदाता की नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर होगी और इससे मंत्रालय/संगठन में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

4.4 मंत्रालय में परामर्शदाताओं की नई नियुक्ति केवल प्रारंभिक दरों पर होगी जैसा कि पारिश्रमिक के बिंदु 3 में उल्लेख किया गया है, न कि उन दरों पर जिन पर किसी भी व्यक्ति को पहले आयुष मंत्रालय/किसी अन्य सरकारी संगठन/ओपन मार्केट में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया हो।

5. <u>नियुक्ति की प्रक्रिया:</u>

5.1 परामर्शदाता को विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने सहित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त किया जाएगा।

5.2 दुर्लभ परिस्थितियों में नामांकन के आधार पर भी नियुक्ति की जा सकती है वशर्ते कि इसके लिए सचिव (आयुष) का उचित औचित्य और अनुमोदन तथा आईएफडी की सहमति प्राप्त हो।

5.3 आवेदनों की संवीक्षा और परामर्शदाता का चयन मंत्रालय/संगठनों की एक समिति द्वारा किया जाएगा।

5.4 चयन समितियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

परामर्शदाताओं और विधि परामर्शदाता के लिए	अन्य के लिए	डोमेन विशेषज्ञ के लिए
निदेशक/उप सचिव (प्रशा.)- अध्यक्ष अवर सचिव (प्रशा.)- सदस्य	सं.सचिव (प्रशा.) - अध्यक्ष निदेशक/उप सचिव (प्रशा.) - सदस्य निदेशक/उप सचिव - सदस्य	संयुक्त सचिव (प्रशा.) - अध्यक्ष सलाहकार (आयुर्वेद या यूनानी या होम्योपैथी) - सदस्य

अवर सचिव - सदस्य		संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद या यूनानी या होम्योपैथी) - सदस्य

5.5 मंत्रालय को परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को रद्द करने और परामर्शदाता की नियुक्ति के मामले में किसी भी स्तर पर आगे कार्रवाई नहीं करने या बिना कोई स्पष्टीकरण दिए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

6. <u>परामर्श का दायरा/उत्तरदायित्व</u>:

i. स्थापना, प्रशासन, वित्त और लेखा से संबंधित मामले।
ii. नीतिगत मामले/विधायी।
iii. संसदीय/हिंदी मामले।
iv. विधि/आईटी/मीडिया मामले।
v. नई परियोजनाएं और विशिष्ट विषय-क्षेत्र।
vi. आवश्यकता के अनुसार कार्य की कोई अन्य मद।

7. <u>सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी:</u>

7.1 परामर्शदाता के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी परामर्शदाता के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन और पेंशन पर महंगाई राहत प्राप्त करता रहेगा।

7.2 परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति को पुन: रोजगार के रूप में नहीं समझा जाएगा।

8. <u>अवकाश</u>:

8.1 सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन के हिसाब से अनुपस्थिति के सवैतनिक अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक छुट्टी जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. <u>काम के घंटे</u>:

9.1 परामर्शदाता को सामान्य कार्यालय समय का पालन करना होगा और अत्यावश्यकता पड़ने पर शनिवार, रविवार या किसी भी छुट्टी पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए भी बुलाया जा सकता है।

9.2 उन्हें एईबीएएस में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी, ऐसा नहीं करने पर पारिश्रमिक में कटौती हो सकती है।

10. <u>स्रोत पर कर कटौती</u>:

10.1 सरकार के निर्देशों के अनुसार स्रोत पर आयकर या कोई अन्य कर काटा जाएगा। उन्हें आवश्यक टीडीएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

11. <u>डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता</u>:

11.1 परामर्शदाता अपने द्वारा संभाली गई जानकारी की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा। नियुक्ति की समाप्ति के बाद भी गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए।

11.2 विभाग/संगठन के लिए परामर्शदाता द्वारा एकत्रित आंकड़े और उत्पादित वितरण योग्य वस्तुओं के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) विभाग/संगठन के पास रहेंगे।

11.3 कोई भी परामर्शदाता विभाग/संगठन की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना इस असाइनमेंट के उद्देश्य से या विभाग/संगठन के लिए असाइनमेंट के दौरान एकत्र किए गए डेटा या सांख्यिकी या कार्यवाही या जानकारी के किसी भी हिस्से का उपयोग या प्रकाशन या प्रकटन नहीं करेगा या किसी तीसरे पक्ष को नहीं देगा।

11.4 संविदा की समाप्ति से पहले और विभाग/संगठन द्वारा अंतिम भुगतान जारी किए जाने से पहले परामर्शदाता विभाग को असाइनमेंट के रिकॉर्ड का पूरा सेट सौंपने के लिए बाध्य होगा।

11.5 परामर्शदाता को संलग्नक के अनुसार एक गैर-प्रकटीकरण वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।

12. <u>हित विरोधिता:</u>

12.1 विभाग द्वारा नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में दूसरों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या ऐसी कोई राय या सलाह नहीं देगा जो विभाग/संगठन के हित के प्रतिकूल हो और न ही वह रोजगार/संविदात्मक असाइनमेंट की शर्तों के बाहर किसी भी गतिविधि में शामिल होगा।

12.2 परामर्शदाता औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधान के तहत इस मंत्रालय में किसी लाभ/क्षतिपूर्ति/आमेलन/सेवा के नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा।

12.3 ओपन मार्केट से नियुक्त परामर्शदाता प्रारंभिक नियुक्ति/नवीकरण के समय इस आशय का बांड देगा कि उनकी नियुक्ति से आयुष मंत्रालय में उनकी सेवा के नियमितीकरण का कोई अधिकार/दावा नहीं होगा।

13. <u>करार की समाप्ति:</u>

मंत्रालय के पास किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई कारण बताए संविदा समाप्त करने का अधिकार है। निम्नलिखित कुछ स्थितियों में मंत्रालय संविदा को समाप्त कर सकता है:

(i) परामर्शदाता सौंपे गए कार्य को करने में असमर्थ है।
(ii) सौंपे गए कार्य की गुणवत्ता अधिकारी/विभाग की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है।
(iii) परामर्शदाता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी पाई जाती है।

14. <u>छूट:</u>

14.1 केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु किसी भी छूट को व्यय विभाग को भेजना आवश्यक होगा।

14.2 ओपन मार्केट के माध्यम से नियुक्त परामर्शदाताओं के लिए, सचिव (आयुष) के अनुमोदन से सरकार के हित में औचित्य के आधार पर असाधारण मामलों में मानदंडों में ढील दी जा सकती है।

15. <u>पुलिस सत्यापन:</u>

15.1 ओपन मार्केट से परामर्शदाता को पुलिस द्वारा पूर्ववृत्त के सत्यापन के बाद नियुक्त किया जाएगा।

15 (क) सतर्कता अनापत्ति - सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिनांक 03.06.2021 के परिपत्र संख्या 07/05/21 द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन सतर्कता अनापत्ति/सतर्कता इनपुट प्राप्त होने पर ही सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा।

16. <u>निर्वचन खंड:</u>

16.1 इन दिशानिर्देशों से उत्पन्न किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए किसी भी दिशानिर्देश या शक्ति के निर्वचन की शक्ति सचिव (आयुष) के पास होगी, जिसका निर्णय परामर्शदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों के तहत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं की गई किसी भी शर्त को निर्णय के लिए सचिव (आयुष) के समक्ष रखा जाएगा जो परामर्शदाता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

A-41020/1/2021-E-II
Government of India
Ministry of Ayush

Ayush Bhawan, 'B' Block,
GPO Complex, INA,
New Delhi – 110023.
Dated, the 11th May, 2023

CIRCULAR

Subject: Engagement of Consultants, Domain Expert, Legal Consultants and IT Consultant on contract basis in Ministry of Ayush - reg.

The undersigned is directed to say that the Ministry of Ayush proposes to prepare a panel of Consultants, Domain Experts, and Legal Consultants for engagement on contract basis in Ministry of Ayush proper. The details are enclosed as **Annexure-I.** The short-listed candidates will be considered for engagement as per the requirement of the Ministry. The Advertisement is for 18 positions given in **Annexure-I**, however, suitable applicants will be placed in the panel to meet the immediate requirements of the Ministry in the future.

2. The terms and conditions of the engagement will be as per the guidelines circulated vide Ministry of Ayush letter no. A-41020/4/2020-E-II dated 01.04.2023 (**copy enclosed**).

3. Interested and eligible applicants may submit their particulars "strictly in the enclosed format (**Annexure – II**) along with CV and relevant documents supporting the claim" to Assistant Director (Admin), Ministry of Ayush, Ayush Bhawan, GPO Complex, INA, New Delhi-110023 latest by 12th June, 2023. Applications received after due date will not be considered.

4. Ministry of Ayush reserves the right to accept or reject any application without assigning any reason.

[Encl. : As Above]

(Abdul Sadiq Khan)
Under Secretary to the Government of India

To:

1. All Ministries/Departments of Government of India with the request to give wide publicity to all the eligible applicants.
2. Under Secretary, (CS I division), Department of Personnel & Training, Lok Nayak Bhawan, New Delhi with the request to direct the concerned to upload the advertisement on DoP&T Website.
3. Shri Sanjay Dev, Media Adviser to upload the same on Social Media Platforms of Ministry of Ayush.
4. Dr. Nirma Bansal, Web Information Manager, Ministry of Ayush with the request to upload this Circular on the Website of the Ministry.
5. Sh. Tanuj Gupta/Sh. Arkan Asad, NIC Cell, Ministry of Ayush with the request to upload this Circular on KMS Portal of the Ministry.

Annexure-I

ADVERTISEMENT OF THE POST

1.	No. of consultants to be engaged on contract basis	Consultants - 12 Consultant (Official Language (OL)/Hindi) - 01 Domain Expert - 01 Senior Legal Consultant - 01 Legal Consultant – 02 IT Consultant - 01
2.	Period of engagement	Initially for a period of up to 31.03.2024. Tenure may be further extended, subject to functional requirements and also subject to appraisal of the performance.
3.	Age limit	Should not be more than 64 years of age as on the last date for receipt of application.
4.	Entry level requirement	**Consultant:** Persons retired from the post of Section Officer /Under Secretary/Deputy Secretary or equivalent in the Government of India, State Governments, Attached & Subordinate Offices, PSU's, Autonomous Bodies of the Government of India. **Consultant (OL/Hindi):** Persons retired from the post Assistant Director/Deputy Director/Joint Director from Central Secretariat Official Language Service (CSOLS). **Domain Expert:** Minimum Bachelor Degree (BAMS/BUMS/BHMS/BSMS/BNYS) from a recognized University along with Master's Degree in Public Health Programme/Post Graduate Diploma in Public Health Administration from AICTE recognized institute with minimum 05 years working experience in Government Sector/Private Sector. **Senior Legal Consultant:** Minimum Bachelor of Law (LLB) from a recognized University with 10 years post qualification experience. **Legal Consultant:** Minimum Bachelor of Law (LLB) from a recognized University with 05 years post qualification experience. **IT consultant:** B.E. or B. Tech (IT, Electronics, Computer Science) from a recognized University with 05 years post qualification experience in Project Implementation, Program Management, preparation of EoI/RFP/ Contracts including IT Projects.
5.	Terms and conditions	As per the guidelines for engagement of consultants circulated vide Ministry of Ayush letter no. A-41020/4/2020-E-II dated 01.04.2023 (**copy enclosed**).
6.	Specialization in	• Administrative/ Establishment matters. • Budget/Accounts. • Policy matters. • Project/ Scheme related work.

		• Legal matters (for Legal Consultants)
7.	Desirable	Preference will be given to persons: • Who are proficient in working independently in MS Office, MS Word, MS Power Point, MS Excel and other Computer Applications. • Who have handled Policy/Administrative matters and related issues while in service. • Excellent communication skills. • In case of Domain Expert, exposure in Social Sector Schemes/Missions of Govt. at National, State and District level and experience of working in Public Sector including Ayush would be desirable. • In case of IT Consultant, MBA and experience of working in a Government (Central/State) set up would be desirable.
8.	Place of work	Following Offices of Ministry of Ayush (Proper):- (i) Ayush Bhawan, GPO Complex, INA, New Delhi - 110023 **OR** (ii) Office Block 3, NBCC Building, East Kidwai Nagar, New Delhi – 110023

Annexure – II

APPLICATION FORM FOR VARIOUS POSTS ON CONTRACT BASIS IN THE MINISTRY OF AYUSH

affix passport size photo

I. Personal Details:

1.	Post applied for (Consultant/Consultant (OL/Hindi)/ Domain Expert/ Senior Legal Consultant/Legal Consultant/IT Consultant),	
2.	Name of the Applicant (in Block Letters)	
3.	Father's / Husband's name	
4.	Date of Birth (DoB)	
5.	Nationality	
6.	Permanent Address	
7.	E-mail ID (in Block Letters)	
8.	Mobile Number	
9.	In case of retired Govt. Servant, last Post held in Government Service prior to retirement along with the name of Ministry/Department/Organization (**please attach a copy of PPO**)	
	Pay Level/ Grade Pay of the last post held	
10.	References	i. ii.

II. Educational Qualifications: (Please attach the self-attested copies of education certificates supporting the claim)

S. No.	Degree/ Diploma

III. Professional Experience: (Please attach self-attested copies of experience certificates supporting the claim)

S. No.	Name of the Organization	Period of	Post held prior to

		Service/Engagement	**retirement (in case of Govt. employees)**

I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissed from the Ministry.

Signature with date

F. No. A-41020/4/2020-E-II
Government of India
Ministry of Ayush

Ayush Bhawan, 'B' Block
GPO Complex, INA
New Delhi – 110023.
Dated, the 01.04.2023.

To,

All Research Councils/ National Institutes/ Subordinate Offices/ PSU's of the Ministry of Ayush (As per Standard List).

Subject : Guidelines for engagement of consultants in the Ministry of Ayush – reg.

Madam/ Sir,

The guidelines for engagement of consultants in the Ministry is hereby revised as per enclosure with immediate effect.

2. This issues with the concurrence of IFD vide CD No. 645 dated 31.03.2023.

[Encl. As Above]

Yours faithfully,

(Abdul Sadiq Khan)
Under Secretary to the Government of India

Copy to;

1. CP & RTI section.
2. Dr. Nirma Bansal, Research Officer for uploading on the official website of the Ministry.
3. Sh. Tanuj, NIC for uploading on e-office.

GUIDELINES FOR ENGAGEMENT OF CONSULTANTS IN THE MINISTRY OF AYUSH

The Ministry of Ayush engages professionals at various levels (as indicated at clause-1.5 below) for providing inputs on different aspects of work in the Ministry. This engagement is of the nature of fee-based consultancy, and does not in any way tantamount to an appointment for employment or job. The engagement of Consultant on contract basis in the Ministry of Ayush shall henceforth be regulated as per the following guidelines:

1. Eligibility:

1.1 Persons retired from the post of Section Officer /Under Secretary /Deputy Secretary /Doctor's /Director / Joint Secretary /Additional Secretary or equivalent in the Government of India, State Governments, Attached & Subordinate offices, PSU's, Autonomous Bodies of the Government of India are eligible for the position of Consultant in their respective spheres of specialization.

1.2 Graduates in Law, IT and other disciplines are eligible to be considered for selection for specific assignments as Consultants. However, the Domain Expert shall be PG degree holder in Ayush systems/ related discipline. Such candidates must have at least 05-10 years' experience in handling related matters (preferably with Government, Autonomous bodies) and should be well versed in dealing with the subject matter.

1.3 Candidates should have excellent communication and interpersonal skills. Knowledge of computer applications such as MS Word, MS Excel and Power Point, etc. is essential.

1.4 Candidates should be well conversant with Central Secretariat functions like drafting, noting, budget, accounts, office procedure, etc.

1.5 The different levels of Consultants and their entry-level requirements are as follows:

S. No.	Entry-Level requirement	Designation
	Retired Employees	
1	Retired Section Officers/Under Secretary/Deputy Secretary/Doctors/Director/Joint Secretary/Additional Secretary	Consultant
	Open Market	
2.	05 years post qualification experience	Legal Consultant
3.	05 years post qualification experience	Media Consultant
4.	05 years post qualification experience	IT Consultant
5.	05 years post qualification experience	Project Consultant
6.	10 years post qualification experience	Sr. Legal Consultant
7.	10 years post qualification experience	Sr. Media Consultant
8.	10 years post qualification experience	Sr. IT Consultant
9.	10 years post qualification experience	Sr. Project Consultant
10.	05 years post qualification experience	Domain Expert

2. Age Limit:

2.1 Should not be more than 64 years of age on the last date for receipt of application.

2.2 The contract shall not be extended beyond 05 years after superannuation.

3. Remuneration:

3.1 For the retired government employees who are engaged as consultants; A fixed monthly amount shall be admissible, arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of contract. There will be no annual increment/ percentage increases during the contract period.

3.2 No Dearness Allowance shall be allowed during the term of contract for retired govt. employees and employees from open market.

3.3 A fixed amount as Transport allowance shall be paid to the consultants who are retired government employees. The entitlement of transport allowance will be as per DOE's OM No. 21/5/2017 – E.II(B) dated 07.07.2017. However, No Dearness Allowance shall be allowed. The amount of transport allowance for the appointee shall be as follows :

(i) Appointee drawing pay in level -8 at the time of retirement will draw a transport allowance of Rs. 3,600/-.

(ii) Appointee drawing pay in level -9 and above at the time of retirement will draw a transport allowance of Rs. 7,200/-.

3.4 For the consultants engaged through open market; a consolidated monthly remuneration (no separate transport allowance shall be payable) will be fixed as follows -

S. No.	Designation	Monthly Remuneration (Rs.)
1.	Legal Consultant	50,000/-
2.	IT Consultant	50,000/-
3.	Media Consultant	50,000/-
4.	Project Consultant	50,000/-
5.	Sr. Legal Consultant	75,000/-
6.	Sr. IT Consultant	75,000/-
7.	Sr. Media Consultant	75,000/-
8.	Sr. Project Consultant	75,000/-
9.	Domain Expert	75,000/-

3.5 Consultants who are engaged from open market or retired government employees shall not be entitled to any allowance such as HRA, residential accommodation, CGHS, Medical reimbursement etc.

3.6 The level of entitlement for Travelling Allowance (TA) to the consultants engaged from open market will be based on their monthly remuneration. The consultants will be entitled to TA only when on official tour as follows :

S.No.	Monthly remuneration of Consultant	Level of Entitlement
1.	Rs. 50,000/-	Pay Level – 7 of the revised Pay Matrix i.e at par with the entitlement of Assistant Section Officer.
2.	Rs. 75,000/-	Pay Level – 10 of the revised Pay Matrix i.e at par with the entitlement of Section Officer.

3.7. For consultants engaged through open market; there would be a provision of 03% annual increment in remuneration as a ceiling on satisfactory completion of minimum of one year subject to performance review on case by case basis. However, the increment would be provided during a financial year only from 01st April to 31st March of any given financial year on completion of minimum of one year tenure during the term of contract and will not be given in between the financial year.

4. Engagement :

4.1 The engagement of Consultant on contract basis will be made only in case of vacancies are not filled up on regular basis or to meet the requirement due to additional activities of defined time frame.

4.2 The term of engagement shall ordinarily be for an initial period not exceeding one year which is extendable by another one year. Beyond two years after the age of superannuation where adequate justification exists, the term may be extended based on a review of the task and the performance of the contract appointee, provided it shall not be extended beyond five years after superannuation. The term of all the consultants will be from 01st April till 31st March of any given financial year. For consultants engaged midway through any financial year, their initial period of engagement will be till 31st March of that financial year.

4.3 The engagement of Consultant will be purely on contract basis and will not confer any right for regular appointment in the Ministry/organization.

4.4 The fresh engagement of Consultants in the Ministry would be at the initial rates only as mentioned in point 3 of remuneration and not at the rates at which any person was earlier engaged as a consultant in Ministry of Ayush/any other govt. organization/open market.

5. Engagement Procedure:

5.1 The Consultant would be engaged after following due procedure, including calling for applications through advertisement.

5.2 The engagement can also be made on nomination basis in rare circumstances with due justification and approval of Secretary (Ayush) and concurrence of IFD.

5.3 The scrutiny of applications and selection of Consultant will be carried out by a Committee in the Ministry/Organizations.

5.4 The Selection Committees shall comprise as under:

For Consultants & Legal Consultant	Other	Domain expert
Director/DS (Admn.) - Chairperson Under Secretary (Admin) - Member Under Secretary - Member	JS (Admin) - Chairperson Director/ DS(Admin) - Member Director/DS - Member	Joint Secretary(A) - Chairperson Adviser (Ayurveda Or Unani or Homoeo) - Member Jt. Adviser (Ayurveda Or Unani or Homoeo) - Member

5.5 The Ministry has the right to cancel advertisement issued for engagement of Consultants and not to proceed in the matter for engagement of Consultant, at any stage to accept or reject any or all applications without giving any explanation, whatsoever.

6. Scope of Consultancy/ Responsibility:

i. Matters relating to Establishment, Administration, Finance and Accounts.
ii. Policy matters/Legislation.
iii. Parliamentary/ Hindi matters.
iv. Legal/IT/Media matters.
v. New projects and specialized subject-areas.
vi. Any other item of work as per requirement.

7. Retired Government Servants:

7.1 The retired Govt. servant engaged as Consultant shall continue to draw pension and Dearness Relief on pension during the period of his engagement as Consultant.

7.2 The engagement as Consultant shall not be considered as a case of re-employment.

4. Engagement :

4.1 The engagement of Consultant on contract basis will be made only in case of vacancies are not filled up on regular basis or to meet the requirement due to additional activities of defined time frame.

4.2 The term of engagement shall ordinarily be for an initial period not exceeding one year which is extendable by another one year. Beyond two years after the age of superannuation where adequate justification exists, the term may be extended based on a review of the task and the performance of the contract appointee, provided it shall not be extended beyond five years after superannuation. The term of all the consultants will be from 01st April till 31st March of any given financial year. For consultants engaged midway through any financial year, their initial period of engagement will be till 31st March of that financial year.

4.3 The engagement of Consultant will be purely on contract basis and will not confer any right for regular appointment in the Ministry/organization.

4.4 The fresh engagement of Consultants in the Ministry would be at the initial rates only as mentioned in point 3 of remuneration and not at the rates at which any person was earlier engaged as a consultant in Ministry of Ayush/any other govt. organization/open market.

5. Engagement Procedure:

5.1 The Consultant would be engaged after following due procedure, including calling for applications through advertisement.

5.2 The engagement can also be made on nomination basis in rare circumstances with due justification and approval of Secretary (Ayush) and concurrence of IFD.

5.3 The scrutiny of applications and selection of Consultant will be carried out by a Committee in the Ministry/Organizations.

5.4 The Selection Committees shall comprise as under:

For Consultants & Legal Consultant	Other	Domain expert
Director/DS (Admn.) - Chairperson Under Secretary (Admin) - Member Under Secretary - Member	JS (Admin) - Chairperson Director/ DS(Admin) - Member Director/DS - Member	Joint Secretary(A) - Chairperson Adviser (Ayurveda Or Unani or Homoeo) - Member Jt. Adviser (Ayurveda Or Unani or Homoeo) - Member

5.5 The Ministry has the right to cancel advertisement issued for engagement of Consultants and not to proceed in the matter for engagement of Consultant, at any stage to accept or reject any or all applications without giving any explanation, whatsoever.

6. Scope of Consultancy/ Responsibility:

i. Matters relating to Establishment, Administration, Finance and Accounts.
ii. Policy matters/Legislation.
iii. Parliamentary/ Hindi matters.
iv. Legal/IT/Media matters.
v. New projects and specialized subject-areas.
vi. Any other item of work as per requirement.

7. Retired Government Servants:

7.1 The retired Govt. servant engaged as Consultant shall continue to draw pension and Dearness Relief on pension during the period of his engagement as Consultant.

7.2 The engagement as Consultant shall not be considered as a case of re-employment.

14.2 For Consultants engaged through open-market, criteria may be relaxed in exceptional cases based on justification in the interest of the government with the approval of Secretary (Ayush).

15. Police Verification :

15.1 The Consultant from Open Market shall be engaged after verification of antecedent by the Police.

15 (A) Vigilance Clearance - The retired government servants will be considered for post-retirement engagement only on receipt of vigilance clearance/vigilance inputs, subject to the conditions laid out by Central Vigilance Commission's (CVC) Circular No. 07/05/21 dated 03.06.2021.

16. Interpretation Clause :

16.1 The power to interpret any of the guidelines or power to settle any dispute arising out of these guidelines shall lie with Secretary (Ayush) whose decision shall be final and binding on the consultant. Further, any condition not explicitly covered under these guidelines shall be put up to Secretary (Ayush) for decision which shall be final and binding on the consultant.